

प्रशासन गाँवों के संग
अभियान 2023

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ राज.

दिनांक:-24/4/2023

क्रमांक:-भू.अ./2023/15


प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौड़गढ़

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री अगवानलाल पिता बाबूलाल नि.
सोना प.ह. सोना के राजस्व ग्राम पिपलियाखुर्द में जमाबन्दी संवत् 2020
की खाता संख्या 132 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने सम्मानजनक जाति/नाम अगवानलाल पिपलियाखुर्द किये जाने की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जाति/नाम अगवानलाल पिपलियाखुर्द का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबधित जाति) अनुसूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।


तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौड़गढ़
बस्सी, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ राज.

क्रमांक:-रीडर/2018/12
निमित्त, 2023

दिनांक:-12/04/2023


पटवार इल्का सोना

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री अगवानलाल पिता बाबूलाल बाकड
राजस्व ग्राम पिपलियाखुर्द प.ह. सोना की खाता संख्या 132 में
जाति/नाम अगवानलाल पिपलियाखुर्द दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा भी जाति/नाम
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री अगवानलाल पिता बाबूलाल की
जाति/नाम अगवानलाल एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज
करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. सोना राजस्व रिकार्ड में
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

प्रतिरिक्ति:-तहसीलदार बस्सी चित्तौड़गढ़ पालना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़